राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

पंचायती राज

क्रमांक : F165()PR/L.B/SFC-6/MONITERING/2024–25 जयपुर, दिनांकः–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद–समस्त।
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति–समस्त।

विषयः– माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उपस्थिति में दिनांक 04.07.2026 को पचपदरा, बालोत्तरा में **HRRL** रिफाइनरी के उद्घाटन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण ग्राम पंचायत मुख्यालय पर देखने की समुचित व्यवस्था के संबंध मे।

संदर्भः–सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक प.25(5) साप्र/2/2025/(राजकाज क्रमांक 23047978) दिनांक 25.06.2026 व खान एवं पेट्रोलियम विभाग की बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक 18(07)खान/ग्रुप–1/2020/पार्ट राजकाज क्रमांक 23057140 दिनांक 26.06.2026 के क्रम में।

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि दिनांक 04.07.2026 को माननीय प्रधानमंत्री **महोदय की उपस्थिति में पचपदरा, बालोतरा में होने वाले HRRL** रिफाइनरी के उद्घाटन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जिला, ब्लॉक व ग्राम पंचायत मुख्यालय पर समारोह आयोजित कर किया जाना है। उक्त कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को ग्राम पंचायतों के मुख्यालय पर देखने की समुचित व्यवस्था की जानी है। इस हेतु विभागीय पत्रांक राजकाज रेफरेन्स 23067643 दिनांक 29.06.2026 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये है।

उल्लेखनीय है कि षष्ठम राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत पंचायती राज सस्थाओं को देय अनुदान राशि के उपयोग हेतु विभागीय पंत्राक 347 राजकाज क्रमांक 13247621 दिनांक 28.01.2025 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के बिन्दु सं (अ)(3)(XIII) के अन्तर्गत विशिष्ठ प्रावधान है।

अतः षष्ठम राज्य वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान राशि के उपयोग के संबंध में जारी दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या (अ) (3) (XIII) के अंतर्गत दिनांक 04.07.2026 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उपस्थिति में पचपदरा, बालोतरा में होने वाले **HRRL** रिफाइनरी के उद्घाटन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण, जिससे आमजन को सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सके, को **संबंधित ग्राम पंचायतों के मुख्यालय पर देखने की समुचित व्यवस्था यथा टी.वी./स्क्रीन/एलईडी व्यवस्था,** टेन्ट, फर्नीचर, दरी, पेयजल व्यवस्था, व्यवस्थित बैठक व्यवस्था, समारोह स्थल पर इन्टरनेट कनेक्टीविटी की उपलब्धता एवं ग्राम पंचायत भवन पर स्थापित ई–मित्र प्लस मशीन के माध्यम से भी प्रसारण आदि से संबंधित व्यय हेतु षष्ठम राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत उपलब्ध अनुदान राशि में से प्रति ग्राम पंचायत अधिकतम राशि रू. 5,000/– के व्यय/उपयोग किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

यह सहमति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 332601076 दिनांक 29.06.2026 द्वारा अनुमोदित है।

(डी. जोगा राम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

Signature valid
Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2026.06.30 08:09:24 IST
Reason: Approved

क्रमांक : F165()PR/L.B/SFC-6/MONITERING/2024–25

RajKaj Ref No.: 23097439

M e-Sign

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, खान एवं पेट्रोलियम विभाग विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य विभाग एवं परिवार कल्याण विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एंव आयुक्त महोदय, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
8. वरिष्ठ निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एंव आयुक्त महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
9. निजी सहायक, निदेशक महोदय, जल ग्रहण एवं भू—संरक्षण विभाग, जयपुर।
10. निजी सहायक, निदेशक महोदया, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), पंचायती राज विभाग, जयपुर।
11. उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय, पंचायतीराज विभाग।
12. **अधीक्षण अभियंता (प्रोजेक्ट), पंचायती राज विभाग।**
13. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना।
14. संयुक्त निदेशक (मॉनिटरिंग), पंचायती राज विभाग।
15. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सेल, विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

Signature valid

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2026.06.30 08:09:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
23097439